



कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर-342 003
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR-342003
Tel.No. 0291-2795147, 154
e-mail : commcxjodh@rediffmail.com

फा.सं. 1-(22)05/प्रशा./जेडीआर/2020/

दिनांक- 08.05.2020

कार्यालय आदेश

In consequence to Para 18(ii) of the Order dated 15.04.2020 issued by the Ministry of Home Affairs, New Delhi vide F.No. 40-3/2020-DM-I(A) read with directions conveyed by the CBIC, New Delhi vide Order dated 15.04.2020 issued under F.No. C.50/30/2020-Ad-II, for smooth execution of the office work, the following Officers and staff of this Commissionerate are required to attend the office as per below mentioned roster :-

S. No.	Name of Officer S/Shri	Degn.	Br.	Work from Office
1	R.K. Vijay	A.C.	Tech.	11.05.2020 to 15.05.2020
2	Prem Raj Jogpal	Supdt.	A.E.	
3	Nirmlesh Daksh	Supdt.	Tech	
4	Tarun Kant	Supdt	Vig.	
5	Praveen Singhal	Supdt	Rev.	
6	S.P. Singhal	Supdt.	Audit	
7	K.K.Pachar	Insp	Tech.	
8	Sanjay saini	Insp	A.E.	
9	Vishal Solanki	Insp.	AE	
10	Neeraj Singh	Insp	Law	
11	Gen Singh	EA	Admn.	
12	Om Prakash Dudi	TA	Admn.	
13	Vijay Kumar Megwal	Hawaladar		

1. संयुक्त आयुक्त & above ऑफिसर सभी कार्यालय दिवस पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। शेष गुप A, B व C अधिकारी घर से ही कार्यालय का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
2. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसकी कार्यालय उपस्थिति इस आदेश द्वारा सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जा रहा है पर यदि वह containment zone/ restricted/prohibited area जैसा कि केंद्र/राज्य सरकार या किसी अन्य कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, में निवास कर रहा है, वह अधिकारी/कर्मचारी अपने नियंत्रक अधिकारी को सूचित कर, घर से ही अपने कार्यालयी कार्य को किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके घर पर रहने की अवधि के दौरान कार्यालय से टेलीफोन/मेल पर भेजे जाने वाले कार्य को किया जाना सुनिश्चित करें व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़कर नहीं जायेंगे। साथ ही घर पर रहने की अवधि के दौरान अपना दूरभाष चालू रखेंगे तथा बुलाये जाने पर कार्यालय में तत्काल अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे।

4. सभी अधिकारी/कर्मचारी Ministry of Health/ Disaster Management Authorities द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे व कार्यालय आते जाते समय/ कार्यालय में social distancing बनाए रखेंगे। साथ ही hand sanitizer एवं mask का नियमित रूप से उपयोग करेंगे।

5. सभी अधिकारी/कर्मचारी को यह आदेशित किया जाता है कि वह केंद्र सरकार/ राज्य सरकार व अन्य कानून प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर COVID-19 के संदर्भ में lock-down की अवधि में सुझाए गए सुरक्षा उपायों को/ जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरसः व अनिवार्यतः पालन करेंगे।

3/1/20
आयुक्त 8/5/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है :-

1. संयुक्त आयुक्त (CCO), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर जयपुर जोन, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
3. जिला अधिकारी, जोधपुर।
4. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए, बी, सी-जोधपुर/डी, ई, पाली/एफ, जी, बीकानेर/ एच, आई, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक आदेश जारी करने हेतु प्रेषित है।
5. निजी सहायक, आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, आयुक्तालय जोधपुर।
6. नोटिस बोर्ड/निजी प्रति